राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

एस. बी. सिविल रिट याचिका सं. 18548/2023

1. शिव कुमार कल्ला पुत्र श्री छंगन लाल कल्ला, उम्र लगभग 60 वर्ष, निवासी ग्राम एवं ग्राम पंचायत खारा, वर्तमान में यशोदा निवास, भेरव जी की चौकी, बिस्सो का चौक, बीकानेर के पास निवासरत हैं।
2. लक्ष्मण सिंह पुत्र श्री विशाल सिंह, उम्र लगभग 90 वर्ष, तत्कालीन ग्राम पंचायत खारा, निवासी गांव व डाकघर खारा, तहसील व जिला बीकानेर।
3. श्रीमती गंगा देवी पत्नी श्री ओम प्रकाश, उम्र लगभग 45 वर्ष, तत्कालीन वार्ड पंच, ग्राम पंचायत खारा, निवासी गांव व डाकघर खारा, तहसील व जिला बीकानेर।
4. शिव शंकर पुत्र श्री लाल चंद, उम्र लगभग 40 वर्ष, तत्कालीन वार्ड पंच ग्राम पंचायत खारा, निवासी गांव और डाकघर खारा, तहसील और जिला बीकानेर।

----अपीलार्थी

बनाम

1. सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान राज्य, सचिवालय, जयपुर के माध्यम से राजस्थान राज्य।
2. अतिरिक्त आयुक्त एवं उप सचिव (द्वितीय), ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।
3. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बीकानेर।

----प्रतिवादीगण

अपीलार्थी के लिए : श्री मनोज चौधरी के साथ

श्री सी एस कोटवानी

माननीय श्री न्यायमूर्ति विनीत कुमार माथुर

आदेश

रिपोर्ट करने योग्य

26/02/2024

1. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया।

2. वर्तमान रिट याचिका दिनांक 11.08.2023 और 21.11.2022 के आदेशों के विरुद्ध दायर की गई है, जिसके तहत याचिकाकर्ताओं के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति प्रदान की गई है।

3. संक्षेप में, वर्तमान रिट याचिका में उल्लेखित तथ्य यह है कि जब याचिकाकर्ता सरपंच, वार्ड पंच और पंच के पद पर कार्यरत थे, तब उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 409 और 120-बी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(1)(सी)(डी) और 13(2) के तहत एफआईआर संख्या 312/2016 दर्ज की गई थी। एफआईआर दर्ज होने के बाद, जांच एजेंसी द्वारा मामले की जांच की गई और याचिकाकर्ताओं के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए अभियोजन स्वीकृति प्रदान करने के लिए इसे अभियोजन स्वीकृति प्राधिकरण को भेज दिया गया। अभियोजन स्वीकृति प्राधिकरण ने अपने दिनांक 11.08.2023 (अनुलग्नक 1) और 21.11.2022 (अनुलग्नक 2) के आदेशों के माध्यम से याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृति प्रदान की। इसलिए, रिट याचिका दायर की गई है।

4. याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने दृढ़तापूर्वक दलील दी कि संबंधित प्राधिकारी ने दिनांक 05.07.2023 के पत्र के माध्यम से याचिकाकर्ताओं को मामले में व्यक्तिगत सुनवाई के लिए बुलाया था। दिनांक 05.07.2023 के पत्र के अनुसरण में, याचिकाकर्ता सक्षम प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित हुए और अपने अभ्यावेदन प्रस्तुत किए तथा मौखिक प्रस्तुतियाँ भी दीं। विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि याचिकाकर्ताओं द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई के लिए बुलाए जाने के बावजूद, उनके द्वारा मौखिक रूप से और अभ्यावेदन में उठाए गए तर्कों पर क्रमशः दिनांक 11.08.2023 और 21.11.2022 के आदेश पारित करते समय ध्यान नहीं दिया गया है।

5. याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने आगे कहा कि दिनांक 11.08.2023 और 21.11.2022 के आदेशों के अवलोकन से पता चलता है कि अभियोजन स्वीकृति प्राधिकरण की ओर से कोई विवेक का प्रयोग नहीं किया गया है, विशेषकर तब, जब आदेश पारित करते समय उसके समक्ष प्रस्तुत किसी भी प्रस्तुतिकरण पर चर्चा नहीं की गई और उसका उल्लेख नहीं किया गया। इसलिए, वह प्रार्थना करते हैं कि रिट याचिका को अनुमति दी जाए और दिनांक 11.08.2023 (अनुलग्नक 1) और 21.11.2022 (अनुलग्नक 2) के आदेशों को रद्द कर दिया जाए।

6. अपनी दलीलों के समर्थन में याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने 10.05.2021 को एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 7171/2021: बहादुर सिंह मयदा बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य में इसी न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा समान परिस्थितियों में पारित अंतरिम आदेश पर भरोसा किया है और इस

न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा 28.07.2023 को एस बी सिविल रिट याचिका संख्या 268/2019 सत्यनारायण वर्मा बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य में दिए गए निर्णय पर भी भरोसा किया।

7. मैंने बार में प्रस्तुत किए गए तर्कों पर विचार किया है और दिनांक 11.08.2023 और 21.11.2022 के आक्षेपित आदेशों सहित मामले के प्रासंगिक रिकॉर्ड का अध्ययन किया है।

8. दिनांक 11.08.2023 और 21.11.2022 के आदेशों का अवलोकन करने से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि अभियोजन स्वीकृति प्राधिकरण ने मामले के संपूर्ण तथ्यों को ध्यानपूर्वक नोट किया है और यह उल्लेख करते हुए अपनी संतुष्टि दर्ज की है कि उसने मामले के संपूर्ण अभिलेखों का अध्ययन किया है और आदेश पारित करते समय उसके समक्ष प्रस्तुत किए गए तर्कों पर विचार किया है। यह भी कहा गया है कि जांच अधिकारी को भी 10.07.2023 को बुलाया गया था और मामले पर उनके साथ विस्तार से चर्चा की गई थी।

9. इस न्यायालय की राय में, इस मामले में अभियोजन स्वीकृति प्रदान करने के लिए स्वीकृति प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत सामग्री और प्रासंगिक तथ्यों पर विधिवत विचार किया गया है।

10. दिनांक 11.08.2023 और 21.11.2022 के आदेशों के अवलोकन से पता चलता है कि वर्तमान मामले में अभियोजन स्वीकृति प्रदान करते समय स्वीकृति प्राधिकारी ने वास्तविक संतुष्टि उत्पन्न करने के लिए अपने स्वतंत्र विचार का प्रयोग किया है। इस न्यायालय का दृढ़ मत है कि मामले पर विचार करते समय, एफआईआर और जांच पत्रों की विषय-वस्तु को वर्तमान मामले में गहनता से नोट किया गया है, जिससे पता चलता है कि अभियोजन स्वीकृति प्राधिकरण ने अपना विवेक प्रयोग किया है। स्वीकृति देने वाले प्राधिकारी ने जांच दस्तावेजों में दर्शाए गए विस्तृत तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया है और आदेश के विवरण से यह भी स्पष्ट है कि स्वीकृति देने वाले प्राधिकारी ने जांच अधिकारी के साथ मामले पर चर्चा भी की है।

11. सीबीआई बनाम अशोक कुमार अग्रवाल, (2014) में रिपोर्ट किए गए, 14 एससीसी 295 के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अभियोजन स्वीकृति प्रदान करने के लिए मार्गदर्शक कारक निम्नानुसार हैं:-

> "15. सामग्री पर विचार करने के लिए दिमाग का प्रयोग होता है। इसलिए, मंजूरी के आदेश में यह स्पष्ट रूप से प्रकट होना चाहिए कि मंजूरी देने वाले प्राधिकारी ने उसके समक्ष रखे गए

साक्ष्य और अन्य सामग्री पर विचार किया था। प्रत्येक व्यक्तिगत मामले में, अभियोजन पक्ष को साक्ष्य प्रस्तुत करके अदालत को यह स्थापित और संतुष्ट करना होगा कि वे तथ्य मंजूरी देने वाले प्राधिकारी के समक्ष रखे गए थे और प्राधिकारी ने उन पर अपना दिमाग लगाया था। यदि मंजूरी आदेश में यह दर्शाया गया है कि सभी प्रासंगिक सामग्री जैसे एफआईआर, प्रकटीकरण विवरण, वसूली ज्ञापन, मसौदा आरोप पत्र और रिकॉर्ड पर अन्य सामग्री मंजूरी प्राधिकारी के समक्ष रखी गई थी और यदि मंजूरी आदेश के विवरण से यह स्पष्ट है कि मंजूरी प्राधिकारी ने सभी सामग्री का अध्ययन किया है, तो यह माना जा सकता है कि मंजूरी कानून के अनुसार दी गई थी। यह तब आवश्यक हो जाता है जब न्यायालय को मंजूरी के आदेश की वैधता की जांच करनी होती है, अन्य बातों के साथ-साथ इस आधार पर कि आदेश में पूर्णतः विवेक का प्रयोग न करने का दोष निहित है।

(यथा: गोकुलचंद द्वारकादास मोरारका बनाम किंग मनु/पीआर/0001/1948:एआईआर 1949 पीसी 82; जसवन्त सिंह बनाम पंजाब राज्य मनु/एससी/0050/1957: ए.पी. मनु/एससी/0181/1979:एआईआर 1979 एससी 677; भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के माध्यम से महाराष्ट्र सरकार बनाम कृष्णचंद खुशालचंद जगतियानी मनु/एससी/0476/1996:एआईआर 1996 एससी 1910; पंजाब राज्य बनाम मो. इक़बाल भट्टी मनु/एससी/1352/2009:(2009) 17 एससीसी 92; सत्यवीर सिंह राठी, एसीपी बनाम राज्य मनु/एससी/0546/2011: एआईआर 2011 एससी 1748; और महाराष्ट्र राज्य बनाम महेश जी जैन मनु/एससी/0561/2013: (2013) 8 एससीसी 119)

16. उपरोक्त के मद्देनजर, कानूनी प्रस्तावों को निम्नानुसार संक्षेपित किया जा सकता है:

16.1 अभियोजन पक्ष को संपूर्ण प्रासंगिक रिकॉर्ड, जिसमें एफआईआर, प्रकटीकरण कथन, गवाहों के बयान, रिकवरी मेमो, ड्राफ्ट चार्जशीट और अन्य सभी प्रासंगिक सामग्री शामिल है, को मंजूरी देने वाले अधिकारी को भेजना होगा। भेजे गए रिकॉर्ड में

> वह सामग्री/दस्तावेज भी शामिल होना चाहिए, यदि कोई हो, जो आरोपी के पक्ष में संतुलन को झुका सकता है और जिसके आधार पर सक्षम अधिकारी मंजूरी देने से इनकार कर सकता है।
>
> 16.2 प्राधिकरण को अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत सम्पूर्ण अभिलेख की स्वतंत्र रूप से पूर्ण एवं सचेत जांच करनी होगी तथा मंजूरी देने से पूर्व सभी प्रासंगिक तथ्यों पर विचार करना होगा तथा मंजूरी देने या न देने के अपने कर्तव्य का निर्वहन करना होगा।
>
> 16.3 मंजूरी देने की शक्ति का प्रयोग सार्वजनिक हित और उस अभियुक्त को उपलब्ध संरक्षण को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए जिसके खिलाफ मंजूरी मांगी गई है।
>
> 16.4 मंजूरी के आदेश से यह स्पष्ट होना चाहिए कि प्राधिकरण को सभी प्रासंगिक तथ्यों/सामग्री की जानकारी थी और उसने सभी प्रासंगिक सामग्रियों पर अपना ध्यान केंद्रित किया था।
>
> 16.5 प्रत्येक व्यक्तिगत मामले में अभियोजन पक्ष को साक्ष्य प्रस्तुत करके न्यायालय को यह स्थापित करना और संतुष्ट करना होगा कि समस्त प्रासंगिक तथ्य स्वीकृति देने वाले प्राधिकारी के समक्ष रखे गए थे और प्राधिकारी ने उन पर अपना विचार व्यक्त किया था तथा स्वीकृति देने वाले प्राधिकारी द्वारा स्वतंत्र विचार के प्रयोग के कानून के अनुसार ही स्वीकृति प्रदान की गई थी।

12. सत्यनारायण वर्मा (सुप्रा) के मामले में याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील द्वारा जिस निर्णय पर भरोसा किया गया वह निर्णय इस प्रकार है:-

> "यह न्यायालय यह भी मानता है कि अभियोजन के लिए मंजूरी की वैधता मंजूरी देने वाले प्राधिकारी के समक्ष रखी गई सामग्री और इस तथ्य पर निर्भर करेगी कि सभी प्रासंगिक तथ्यों, सामग्रियों और साक्ष्यों पर मंजूरी देने वाले प्राधिकारी द्वारा विचार किया गया है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि विचार करने का तात्पर्य दिमाग के प्रयोग से है क्योंकि मंजूरी के आदेश से यह स्पष्ट रूप से पता चलता है कि मंजूरी देने वाले

> प्राधिकारी ने मंजूरी देते समय वास्तविक संतुष्टि उत्पन्न करने के लिए अपने स्वतंत्र दिमाग का इस्तेमाल किया है। चूंकि, मंजूरी देने या न देने का विवेकाधिकार पूरी तरह से मंजूरी देने वाले प्राधिकारी के पास है, इसलिए, यह दर्शाना उसके विवेकाधिकार पर निर्भर है कि अभियोजन मंजूरी देते समय मंजूरी देने वाले प्राधिकारी ने अपना स्वतंत्र विचार लगाया है और वर्तमान मामले में, दिनांक 16.11.2018 के आदेश में विचार का अभाव है, जो शब्दशः वही है। हालांकि, सक्षम प्राधिकारी को 1988 के अधिनियम के प्रावधानों के तहत याचिकाकर्ता पर मुकदमा चलाने की मंजूरी देने के लिए कानून के अनुसार पूरे मामले पर नए सिरे से विचार करने की स्वतंत्रता है।"

13. याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील द्वारा भरोसा किए गए निर्णय का अवलोकन करने से पता चलता है कि अभियोजन स्वीकृति प्राधिकरण द्वारा समुचित विचार-विमर्श किया जाना चाहिए तथा किसी विशेष मामले में अभियोजन स्वीकृति प्रदान करते समय स्वतंत्र राय लेना आवश्यक है। वर्तमान मामले में, दिनांक 11.08.2023 और 21.11.2022 के आदेशों में उल्लेखित विस्तृत तथ्य स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि अभियोजन स्वीकृति प्राधिकरण ने सभी तथ्यों पर ध्यान दिया है और संपूर्ण जांच सामग्री देखने और 10.07.2023 को जांच अधिकारी के साथ चर्चा के बाद, निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले अपनी संतुष्टि दर्ज की है और इसलिए, इस न्यायालय की राय में, वर्तमान मामले में अभियोजन स्वीकृति प्रदान करना केवल इस आधार पर दोषपूर्ण नहीं है कि याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर किए गए अभ्यावेदन और व्यक्तिगत सुनवाई में उठाए गए तर्कों को संबंधित प्राधिकरण द्वारा अभियोजन स्वीकृति के लिए आदेश पारित करते समय विस्तार से नोट नहीं किया गया है। इस प्रकार, इस न्यायालय की राय में, वर्तमान मामले में अभियोजन स्वीकृति आदेश पारित करते समय याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गई दलीलों का उल्लेख करना आवश्यक नहीं है, क्योंकि एफआईआर में उल्लिखित आवश्यक तथ्यों, जांच पत्रों और स्वीकृति प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत सामग्री पर विधिवत विचार किया गया था, दिनांक 11.08.2023 और 21.11.2022 के आदेश जारी करते समय विवेक का प्रयोग परिलक्षित होता है।

14. उपरोक्त चर्चा के मद्देनजर, मैं अभियोजन स्वीकृति प्राधिकरण द्वारा पारित दिनांक 11.08.2023 और 21.11.2022 के आदेशों में हस्तक्षेप करने के लिए इच्छुक नहीं हूं। रिट याचिका में कोई दम नहीं है और इसे खारिज किया जाता है।

(विनीत कुमार माथुर),जे

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है ।

अस्वीकरण - यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा मे अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा एवं निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।